


10/4/23

वज्रपत्र

वादी / प्रार्थी की ओर से वाद  
विहीन किये जाने बाबत प्रार्थना  
पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली  
तलब की गई। वकील वादी  
की सुना जाकर प्रार्थना पत्र  
एवं पत्रावली पर अवलोकन  
मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र, वकील वादी की बहस  
एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
दस्तावेज के आधार पर  
स्वीकार किया जाता है।  
पत्रावली केवल सुमार होकर  
बाद तकमील दारिक्त दफतर हो।  
निर्णय सुले न्यायालय में  
सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर  
एवं न्यायालय मुद्रा से जारी  
किया गया।



सहायक क्लर्क  
सांभर लोक (जयपुर)